



शिक्षित बनो

संगठित रहो

संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े

dr.amws

@DrAMWS2022

@bhimchannel22

डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा (IPS)

अध्यक्ष

मो. 9414137888

बनवारी लाल बैरवा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

मो. 9001195384

दयानन्द सक्करवाल

कोषाध्यक्ष

मो. 9634418411

जी.एल. वर्मा

महासचिव

मो. 9829688869

क्रमांक : DrAMWS/2024/GS/R-997

दिनांक: 27.03.2024

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर के संविधान में आवश्यक संशोधन हेतु स्वर्गीय उदयचंद बारुपाल, से.नि. RHJS की अध्यक्षता में गठित संविधान संशोधन समिति से प्राप्त "संविधान संशोधन प्रारूप" पर सोसायटी के निर्वाचित पदाधिकारियों में पूर्व में हुई चर्चा अनुसार प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप पर सोसायटी के पूर्व पदाधिकारीगण, सदस्यगण, संरक्षक सदस्यों, आजीवन सदस्यों एवं अन्य सम्बंधित व्यक्तियों/ विभागों से इस प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप पर चर्चा करने, सुझाव आमंत्रित करने एवं संशोधन प्रारूप को केन्द्रीय कार्यसमिति को चर्चा के लिए प्रस्तुत करने हेतु "संविधान संशोधन प्रारूप केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी समिति" का गठन एतद् द्वारा निम्न प्रकार से किया जाता है:

1. अध्यक्ष - श्री बी.एल.बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
2. सदस्य - श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष
3. सदस्य - डॉ. शशि इन्दुलिया, उपाध्यक्ष
4. सदस्य - श्रीमती तारा बेनीवाल, सदस्य
5. सदस्य सचिव - श्री जी.एल. वर्मा, महासचिव

"संविधान संशोधन प्रारूप केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी समिति" का कार्यकाल इस पत्र के जारी होने से तीन महीने का होगा।

संविधान संशोधन समिति ने प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता पर विस्तृत कारण अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये हैं, अतः अन्य विषयों के अलावा मुख्य निम्नलिखित संशोधनों पर विस्तृत रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जाएगी।

1. प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप में प्रदेश कार्यकारिणी में वर्तमान में चार पदाधिकारियों के निर्वाचन की बजाय केवल अध्यक्ष के निर्वाचन के सुझाव के कारण एवं सोसायटी पर इसके प्रभाव।
2. प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप में प्रदेश कार्यकारिणी में केवल निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा ही अन्य कार्यसमिति पदाधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति के सुझाव के कारण एवं सोसायटी पर इसके प्रभाव।
3. प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप में प्रदेश कार्यकारिणी, परिषद्, जिला कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी एवं अन्य समितियों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं करने के कारण एवं सोसायटी पर इसके प्रभाव।
4. प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी एवं तहसील शाखा के निर्वाचित पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर प्रदेश कार्यकारिणी के कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पदच्युत किया जाने के अधिकार के कारण एवं सोसायटी पर इसके प्रभाव।
5. प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप में परिषद् के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से पारित निर्देश प्रदेश कार्यकारिणी पर बाध्यकारी होने के कारण एवं सोसायटी पर इसके प्रभाव।
6. प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप में संरक्षक सदस्यता शुल्क 5000/- से बढ़ाकर 50,000/- रुपये एवं आजीवन सदस्यता शुल्क 410/- से बढ़ाकर 2500/- किये जाने के कारण एवं सोसायटी पर इसके प्रभाव।
7. प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप में मनोनीत पदाधिकारियों/सदस्यों को विभिन्न कार्यकारिणियों/परिषद् इत्यादि में निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों से अधिक अधिकार प्रदान किये जाने के कारण एवं सोसायटी पर इसके प्रभाव।

(डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा, IPS)
अध्यक्ष



शिक्षित बनो

संगठित रहो

संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े

dr.amws

@DrAMWS2022

@bhimchannel22

डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा (IPS)

अध्यक्ष

मो. 9414137888

बनवारी लाल बैरवा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

मो. 9001195384

दयानन्द सक्करवाल

कोषाध्यक्ष

मो. 9634418411

जी.एल. वर्मा

महासचिव

मो. 9829688869

प्रतिलिपि मय प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रारूप आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु :

1. अध्यक्ष - श्री बी.एल.बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
2. सदस्य - श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष
3. सदस्य - डॉ. शशि इन्दुलिया, उपाध्यक्ष
4. सदस्य - श्रीमती तारा बेनीवाल, सदस्य
5. सदस्य सचिव - श्री जी.एल. वर्मा, महासचिव
6. सोसायटी केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण (व्हाट्सअप ग्रुप/सोशल मीडिया द्वारा)
7. सोसायटी जिला कार्यकारिणी पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण (व्हाट्सअप ग्रुप/सोशल मीडिया द्वारा)
8. सोसायटी समस्त सदस्य (व्हाट्सअप ग्रुप/सोशल मीडिया द्वारा)
9. सोसायटी वेबसाइट, सूचना पट्ट एवं सोशल मीडिया

(डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा, IPS)
अध्यक्ष

शिक्षित बनो!

संगठित हो!

संघर्ष करो!

पंजीयन संख्या 290/80-81 Date : 09 September, 1980
राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958



डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी, जयपुर, राजस्थान का संविधान



द्वारा-संविधान संशोधन समिति

शिक्षित बनो!

संगठित हो!

संघर्ष करो!

संघर्ष करो!

संगठित हो!

शिक्षित बनो!

शिक्षित बनो!

संगठित हो!

संघर्ष करो!

शिक्षित बनो!

संगठित हो!


संघर्ष करो!

संघर्ष करो!

पंजीयन संख्या 290 / 80-81 Date : 09 September, 1980
राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958



डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी, जयपुर, राजस्थान का संविधान



द्वारा-संविधान संशोधन समिति

संगठित हो!

शिक्षित बनो!

शिक्षित बनो!

संगठित हो!

संघर्ष करो!

शिक्षित बनो!

संगठित हो!

संघर्ष करो!

पंजीयक संख्या 290/80-81 दिनांक 09.09.1980
(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958)

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर

13-14, झालाना डूंगरी क्षेत्र, जयपुर

माननीय अध्यक्ष महोदय,
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी,
जयपुर।

विषय :- डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर के संविधान में "प्रस्तावित संशोधन प्रारूप" सौंपन के क्रम में।

प्रसंग :- सोसायटी के कार्यालय आदेश क्रमांक DrAMWS/2022/GS/R-51 दिनांक 10.12.2023 व DrAMWS/2022/GS/R-2 दिनांक 04.01.2023.

मान्यवर महोदय,

उपर्युक्त प्रासांगिक विषय एवं कार्यालय आदेशों के क्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा सोसायटी के संविधान में संशोधन के लिए "संविधान संशोधन समिति" का गठन किया गया जो निम्न प्रकार हैं :-

क्र.स.	नाम	पद
1	डॉ. उदयचन्द बारूपाल, पूर्व जिला न्यायाधीश	अध्यक्ष
2	श्री श्रीराम चोरडिया, आई.ए.एस., से.नि.	सदस्य
3	श्री बी.एल.नवल, आई.ए.एस., से.नि.	सदस्य

4	श्री शंकर लाल मेहरानिया, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, से.नि.	सदस्य
5	श्री महेन्द्र आनन्द, मुख्य प्रबंधन, एस.बी.आई., से.नि.	सदस्य
6	श्री मोहन लाल वर्मा, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग, से.नि.	सदस्य
7	श्री पूरण बेरी बेरी, सयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, से.नि.	सदस्य
8	श्री वी.सी. बुनकर, सयुक्त सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान	सदस्य
9	श्री जी.एल. वर्मा, अधिशाषी अभियंता, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, से.नि.	सदस्य सचिव

कार्यालय आदेशों के क्रम में सोसायटी के संविधान में संशोधन के लिए गठित संविधान संशोधन समिति की दिनांक 28.12.2022, 10.01.2023, 11.02.2023 व 07.04.2023 को संविधान में संशोधनों का प्रारूप तैयार करने हेतु बैठकें आयोजित की गईं। समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श के पश्चात् संविधान संशोधन हेतु सुझाव आमन्त्रित करने के लिए "संविधान संशोधन सुझाव प्रश्नावली" सर्वसम्मति से अनुमोदित की जाकर सुझाव सोसायटी की अधिकृत ई-मेल (dramdkar@gmail.com), सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय के पते (13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर 302004) पर एवं सामाजिक अखबारों में प्रकाशनों में माध्यम से आमन्त्रित किये गये। कार्यालय में सुझाव प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2023 रखी गई थी। तत्पश्चात् समिति की बैठक दिनांक 07.04.2023 में सर्वसम्मति से सुझाव प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 17.04.2023 तक का ओर समय दिया गया।


सोसायटी के माननीय सदस्यों, पदाधिकारियों एवं संविधान संशोधन समिति के सदस्यों से प्राप्त संशोधनों पर संविधान संशोधन समिति द्वारा समय-समय पर विचार-विमर्श कर प्रस्तावित संशोधन प्रारूप तैयार किया गया। प्रस्तावित संशोधन प्रारूप के अनुसार संविधान की उद्देशिका, पंजीकृत कार्यालय, स्थाई सलाहकार परिषद, निर्वाचन, वित्त लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण, त्यागपत्र, समितियों के गठन एवं सोसायटी के पहचान के संबंध में नियम बनाने के लिए नये प्रावधानों का समावेश किया गया है। सोसायटी के विद्यमान संविधान में समय के अनुसार कुछ प्रावधान अप्रासांगिक होने व वर्तमान समय की परिस्थितियों में नवीन प्रावधानों की आवश्यकता होने पर नये प्रावधान समावेशित किये गये हैं। इसी प्रकार विद्यमान संविधान का समसामयिक परिस्थितियों में पुनः लेखन (**re write**) किया गया है। विद्यमान संविधान में कुल चौबीस धाराएँ थी एवं अध्यायों में विभक्त नहीं था। प्रस्तावित संशोधन प्रारूप में कुल सात अध्याय एवं अठाईश धाराएँ समावेशित की गई हैं।

संविधान संशोधन समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रारूप दिनांक 07 जून, 2023 को अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सुपूर्द किया जा रहा है।

सादर।

जयपुर।

दिनांक 07.06.2023

9 भवदीय

डॉ. उदयचन्द्र बारूपाल
अध्यक्ष, 07.06.2023
संविधान संशोधन समिति

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर

13-14, झालाना डूंगरी क्षेत्र, जयपुर

विषय-सूची

क्र.स.	धारा	नाम	पृष्ठ संख्या	
			से	तक
1		उद्देशिका	01	01
अध्याय-प्रथम सोसायटी का परिचय एवं कार्यक्षेत्र			02	03
2	धारा 01	सोसायटी का नाम	02	02
3	धारा 02	कार्यक्षेत्र	02	02
4	धारा 03	पंजीकृत कार्यालय	02	02
5	धारा 04	लक्ष्य और उद्देश्य	02	03
6	धारा 05	परिभाषाएँ	03	03

अध्याय-द्वितीय सदस्यता			04	05
7	धारा 06	सदस्यता	04	05
अध्याय-तृतीय संगठन			08	11
8	धारा 07	आम सभा	06	06
9	धारा 08	स्थायी सलाहकार परिषद	06	08
10	धारा 09	सोसायटी का संगठनात्मक ढांचा	08	11
अध्याय-चतुर्थ पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार			12	15
11	धारा 10	प्रदेश कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य	12	12
12	धारा 11	प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार	12	14
13	धारा 12	जिला कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य	14	14
14	धारा 13	जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार	14	15
अध्याय-पंचम वित्त एवं लेखा			16	19
15	धारा 14	वित्त, लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण	16	19


अध्याय-षष्ठम् निर्वाचन			20	20
16	धारा 15	निर्वाचन	20	20
17	धारा 16	आदर्श आचार संहिता	20	20
अध्याय-सप्तमम् प्रकीर्ण			21	23
18	धारा 17	त्यागपत्र	21	21
19	धारा 18	नियम बनाने की शक्तियाँ	21	21
20	धारा 19	संविधान संशोधन	21	21
21	धारा 20	समितियाँ	21	22
22	धारा 21	अन्य संस्थाओं से सम्बन्धता	22	22
23	धारा 22	पंजीकाएँ	22	22
24	धारा 23	सोसायटी का पंजीकरण	22	22
25	धारा 24	सोसायटी का विघटन	22	22
26	धारा 25	सोसायटी की पहचान	22	22
27	धारा 26	विधिक विवाद	23	23
28	धारा 27	व्यावृत्तियाँ	23	23
29	धारा 28	अविश्वास प्रस्ताव	23	23


पंजीयक संख्या 290/80-81 दिनांक 09.09.1980
(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958)


डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर संविधान


13-14, झालाना डूंगरी क्षेत्र, जयपुर


धारा सं.	शीर्षक	प्रस्तावित प्रावधान
	उद्देशिका	<p>: उद्देशिका :</p> <p>हम, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, सोसायटी को गरिमामय, निष्पक्ष, पारदर्शी, समान लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में स्थापित करने के लिये कटिबद्ध हैं,</p> <p>और</p> <p>अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के सर्वांगीण विकास, रोजगारोन्मुख व आत्मनिर्भर बनाने के लिये सतत् प्रयासरत रहने के लिये कृतसंकल्प रहेंगे,</p> <p>एवं</p> <p>समाज के सदस्यों में एकता भाईचारा, बन्धुत्व, निर्भीकता, राजनितिक चेतना व सामाजिक सरोकारो को नई दिशा देने के लिये हम जनजागरण के लिये वचनबद्ध रहेंगे,</p> <p>और इस प्रकार,</p> <p>हम अनुसूचित जाति वर्ग की प्रगति व उज्ज्वल भविष्य तथा सभी उप जातियों की एकता के लिए इस संविधान को दिनांक को स्वीकार एवं अंगीकार करते हैं।</p>



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.चवल
सदस्य



श्रीराम चौरडिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


अध्याय-प्रथम
सोसायटी का परिचय एवं कार्यक्षेत्र


धारा 01	सोसायटी का नाम	“डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर” होगा।
धारा 02	कार्यक्षेत्र	सोसायटी का कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य होगा।
धारा 03	पंजीकृत कार्यालय	13-14, झालाना डूंगरी क्षेत्र, जयपुर-302004, राजस्थान
धारा 04	लक्ष्य और उद्देश्य	<p>सोसायटी एक गैर राजनीतिक एवं सामाजिक संस्था हैं जिसके निम्नलिखित लक्ष्य और उद्देश्य हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. अम्बेडकर की स्मृति एवं उनके दर्शन को समाज में प्रोन्नत करना। 2. समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं अन्य सुसंगत क्षेत्रों में हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। 3. समाज के युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख कोचिंग आदि के लिये समुचित प्रयास करना। 4. सेवा सम्बन्धी मामलों में यथासंभव मार्गदर्शन प्रदान करना। 5. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सभी वर्गों में श्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानित करना। 6. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यथासंभव मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति प्रदान करना व सम्मानित करना। 7. समाज में खेल-कूद की गतिविधियों को विकसित करने के लिये समुचित प्रयास करना। 8. महिला सशक्तिकरण के लिये समुचित प्रयास करना। 9. समाज को शिक्षित व जागरूक करना और समाज में व्याप्त कुरुतियों को समाप्त करने का प्रयास करना। 10. समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर समाज के हितों का संवर्धन करने का प्रयास करना। 11. समाज के हितों का संवर्धन करने के लिये साहित्य प्रकाशन करना। 12. केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में समाज को जागरूक करना। 13. सोसायटी के ढांचागत विकास हेतु समुचित प्रयास करना।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुधकर
सदस्य



पूरण
सदस्य



मोहन
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य



शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



वी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौधरिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारुपाल
अध्यक्ष
संविधान संशोधन समिति
07.6.23


		<p>14. स्मृति व्याख्यान, सेमीनार, कार्यशाला एवं सम्मेलनों का समाज के हितों का संवर्धन करने के लिये आयोजन करना।</p> <p>15. समाज के सदस्यों के साथ होने वाले अत्याचार एवं उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में त्वरित मार्गदर्शन व यथोचित कदम उठाना।</p>
धारा 05	परिभाषाएँ	<p>1. "सोसायटी" से तात्पर्य डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर से है।</p> <p>2. "संविधान" से तात्पर्य सोसायटी का संविधान से है।</p> <p>3. "सरकार" से तात्पर्य केन्द्रीय या राज्य सरकार से है।</p> <p>4. "अनुसूचित जाति" से तात्पर्य भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जातियों (समय-समय पर निकलने वाले आदेशों के अनुसार) से है।</p> <p>5. "वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है। (एक अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की इकतीस मार्च)</p> <p>6. "प्रदेश कार्यकारिणी" से तात्पर्य सोसायटी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी से है।</p> <p>7. "पंजीयक (रजिस्ट्रार)" से तात्पर्य सहकारी संस्थाओं के पंजीयक (रजिस्ट्रार) जयपुर से है।</p> <p>8. "अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 से है।</p> <p>9. "संभाग" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संभाग से हैं।</p> <p>10. "जिला " से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्व जिला से है।</p> <p>11. "तहसील" राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्व तहसील से है।</p> <p>12. "परिषद" से तात्पर्य संविधान की धारा आठ के अन्तर्गत गठित स्थाई सलाहकार परिषद से है।</p> <p>13. "समाज" से तात्पर्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से है।</p> <p>14. "आचार संहिता" से तात्पर्य विधानसभा चुनाव में परिभाषित आचार संहिता से है।</p>



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य


पूरण सिंह
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



वी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौधरी
सदस्य



डॉ. जदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


अध्याय-द्वितीय सदस्यता


धारा 06	सदस्यता	<p>1. पात्रता</p> <ol style="list-style-type: none"> i. राजस्थान का निवासी हो। ii. अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। (आयु की गणना उस वर्ष की एक जनवरी से होगी)। iii. अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। iv. सोसायटी के लक्ष्य और उद्देश्यों से पूर्णत सहमत हो। <p>2. सदस्यता श्रेणी :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. संरक्षक सदस्य ii. आजीवन सदस्य <p>स्पष्टीकरण : संरक्षक सदस्य भी सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।</p> <p>3. सदस्यता शुल्क :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. संरक्षक सदस्य : पचास हजार रूपये। ii. आजीवन सदस्य : दो हजार पांच सौ रूपये। <p>4. सदस्यता की समाप्ति :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. मृत्यु होने पर। ii. त्याग पत्र देने पर। iii. मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर। iv. सोसायटी के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने पर। v. परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं जारी की गई आचार संहिता के उलघन करने पर।
---------	---------	---



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य


वी.एल.नवल
सदस्य


श्रीराम चौधरिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारुपाल
अध्यक्ष
7.6.23
संविधान संशोधन समिति


- vi. संविधान की धारा छः की उपधारा पांच के अन्तर्गत सदस्यता से निष्काषित किया जा सकेगा।
vii. दिवालिया घोषित होने पर।


स्पष्टीकरण : किसी सदस्य को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् प्रदेश कार्यकारिणी में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से सदस्यता की समाप्ति की जा सकेगी।


5. सदस्यता समाप्ति की प्रक्रिया :


- सोसायटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, अतिरिक्त महासचिव, कोषाध्यक्ष व अतिरिक्त कोषाध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारीगण का कालावधि समाप्त होने पर नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को सम्पूर्ण कार्यभार नहीं समलाने पर उनका यह कृत्य दुराचरण मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जाकर सोसायटी की सदस्यता समाप्त की जावेगी।
- सोसायटी के किसी भी सदस्य के विरुद्ध सोसायटी के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने की शिकायत पर प्रदेश कार्यकारिणी प्रारम्भिक जांच के लिए तीन सदस्यों की जांच कमेटी का गठन करेगी।
- जांच समिति के समक्ष आरोपी स्वयं या अपने प्रतिनिधि (एडवोकेट के अलावा) के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
- जांच समिति द्वारा दी गई समयावधि में आरोपी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की रिपोर्ट पर प्रदेश कार्यकारिणी समुचित निर्णय ले सकेगी।
- चुनाव आचार संहिता के उलघन पर सोसायटी के समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त सदस्यों के विरुद्ध दुराचरण की कार्यवाही जा सकेगी।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण शिंदे
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीसिम घोष
सदस्य



उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष
संविधान संशोधन समिति


अध्याय-तृतीय
संगठन


धारा 07	आम सभा	<ol style="list-style-type: none"> 1. सोसायटी के सदस्य आम सभा का गठन करेंगे। 2. आम सभा की बैठकें वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी। आवश्यकता होने पर एक बार से अधिक भी बैठक आहूत की जा सकेगी। 3. आम सभा की बैठक बुलाने के लिये पन्द्रह दिवस पूर्व सदस्यों को विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया जाना अनिवार्य है तथा विज्ञप्ति के साथ कार्यक्रम एजेण्डा प्रेषित करना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी सदस्यों को सूचित किया जाएगा। 4. आम सभा की बैठक का कोरम एक तिहाई सदस्यों का होगा। यदि बैठक शुरू होने के पश्चात् एक घंटे तक यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक स्थगित कर उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में उसी स्थान पर पुनः बैठक की जा सकेगी। 5. विशेष संकल्प पारित होने पर संकल्प की प्रति, पंजीयक (संस्था) को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर भेजी जावेगी। 6. यदि सोसायटी के कुल मतदान योग्य सदस्यों की संख्या के पांचवे हिस्से अथवा मतदान योग्य न्यूनतम एक सौ सदस्य लिखित रूप में आवेदन कर आम सभा की बैठक बुलाने की माँग करते हैं, तो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट विषय पर विचार करने के लिए आम सभा की बैठक आहूत की जावेगी। बैठक आहूत करने की विज्ञप्ति के साथ एजेण्डा लिखित में प्रेषित किया जायेगा।
धारा 08	स्थायी सलाहकार परिषद	<ol style="list-style-type: none"> 1. सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक स्थायी सलाहकार परिषद होगी। 2. परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम ईक्यावन (51) होगी। 3. परिषद का विघटन नहीं होगा। परन्तु परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होंगे। 4. परिषद के सदस्यों की अवधि तीन वर्ष की होगी। परन्तु प्रथम परिषद के गठन के अध्यक्षीन होगी। 5. सदस्यों की पात्रता :



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण केशव
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेंद्र आनन्द
सदस्य



शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौरडिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारुपाल
अध्यक्ष 2.6.23
संविधान संशोधन समिति


- i. सोसायटी का न्यूनतम दस वर्ष पुराना सदस्य हो।
 ii. परिषद के सदस्य के लिये न्यूनतम आयु पचास वर्ष की हो।
 iii. परिषद का सदस्य दो अवधि के लिए ही नामित किया जावेगा।
 iv. किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र/मृत्यु/अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए उसी क्षेत्र के अन्य सदस्य को नामित किया जा सकेगा।
6. सदस्यों का मनोनयन :
 i. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों का मनोनयन करेगी, जिनमें पन्द्रह सदस्य साहित्य, विधि, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होंगे।
 ii. प्रत्येक संभाग के सचिव द्वारा संभाग की जिला कार्यकारिणियों से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक संभाग से एक-एक सदस्य का मनोनयन किया जायेगा।
 iii. प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष परिषद के पदेन सदस्य होंगे।
7. प्रथम परिषद का गठन :
 i. प्रथम परिषद के गठन के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष, दो वर्ष व तीन वर्ष का होगा।
 ii. प्रथम परिषद के प्रत्येक सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी पर्ची के माध्यम से सार्वजनिक रूप से निकाली जावेगी।
 iii. प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा कुल नामित सदस्यों का कार्यकाल प्रथम एक तिहाई सदस्यों का तीन वर्ष, द्वितीय एक तिहाई सदस्यों का दो वर्ष व तृतीय एक तिहाई सदस्यों का एक वर्ष का होगा।
 iv. प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा कुल नामित सदस्यों में से लॉटरी के माध्यम से प्रथम लॉटरी में एक वर्ष व दूसरी लॉटरी में दो वर्ष एवं शेष सदस्यों का तीन वर्ष का कार्यकाल होगा।
 v. उपरोक्त सदस्य निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति पर निवृत्त माना जावेगा।
 vi. प्रथम परिषद के गठन के बाद परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा प्रत्येक एक वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य निवृत्त होते रहेगे।
8. परिषद का संचालन :
 i. प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा नामित सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संयोजक का निर्वाचन किया जावेगा। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संयोजक का कार्यकाल उनके सदस्यता के कार्यकाल के अध्यक्षीन होगा।



 जी.एल. वर्मा
 सदस्य सचिव



 वी.सी. बुन्कर
 सदस्य



 पूरुषोत्तम सिंह बहरी
 सदस्य



 मोहन लाल वर्मा
 सदस्य


 महेंद्र आनन्द
 सदस्य


 शंकर लाल मेहरानिया
 सदस्य


 बी.एल.नवल
 सदस्य



 श्रीराम चौरड़िया
 सदस्य



 डॉ. उदयचन्द बारूपाल
 अध्यक्ष
 संविधान संशोधन समिति


- ii. संयोजक द्वारा परिषद की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से आहूत की जावेगी।
- iii. परिषद की बैठक वर्ष में दो बार अनिवार्य रूप से आहूत करनी होगी एवं आवश्यकतानुसार और बैठके आहूत की जा सकेंगी।
- iv. परिषद की बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयोजक द्वारा अध्यक्षता की जावेगी। यदि अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, व संयोजक उपस्थिति न हो, तो उपस्थित सदस्यों में आयु में वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- v. परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण व संबंधित अन्य कार्य संयोजक द्वारा संधारित किये जावेंगे।
- vi. परिषद के न्यूनतम दस सदस्यों के लिखित आवेदन करने पर अध्यक्ष को विशेष बैठक आहूत करनी होगी। आवेदकों को बैठक आहूत करने का विषय विनिर्दिष्ट करना होगा।
- vii. परिषद की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा।


9. परिषद के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-


- i. परिषद के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से पारित निर्देश प्रदेश कार्यकारिणी पर बाध्यकारी होंगे।
- ii. परिषद प्रदेश कार्यकारिणी की कालावधि समाप्त के छः माह पूर्व निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण तरीके से नई प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी।
- iii. परिषद नई प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव सम्पन्न कराने हेतु चुनाव समिति एवं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगी।
- iv. चुनाव समिति चुनाव व्यय का आंकलन कर सोसायटी के अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष से राशि की निर्धारित समय में उपलब्ध कराने की मांग करेगी।
- v. सोसायटी अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष निर्धारित समय में चुनाव समिति को चुनाव सम्पन्न कराने हेतु बजट राशि उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।
- vi. चुनाव समिति द्वारा चुनाव सम्पन्न कराने हेतु मांग की गई बजट राशि निर्धारित समय में अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष सोसायटी द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर चुनाव सम्पन्न कराने हेतु "आपात स्थिति" मानी जावेगी।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य



शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौरड़िया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 2.6.23
संविधान संशोधन समिति


		<p>vii. उक्त आपात स्थिति में परिषद को स्वतः ही वित्तीय अधिकार प्राप्त हो जावेंगे। इस स्थिति में परिषद के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों अर्थात् दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से चैक से राशि आहरण की जावेगी।</p> <p>viii. सोसायटी के अध्यक्ष/महासचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा चुनाव समिति को चुनाव सम्पन्न कराने में सहयोग नही करने पर दुराचरण की परिभाषा में आयेगा जिसके विरुद्ध संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>ix. परिषद के गठन एवं पदाधिकारियों के निर्वाचित होते ही पदाधिकारियों के नमूने के हस्ताक्षर सम्बन्धित बैंक में भिजवाये जायेंगे, लेकिन प्रयोग संविधान के प्रावधान (vii) के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेंगे।</p> <p>x. परिषद के पदाधिकारी एवं सदस्यों के विरुद्ध सोसायटी के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने पर आमसभा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पदच्युत किये जा सकेंगे।</p>																												
धारा 09	सोसायटी का संगठनात्मक ढांचा	<p>1. आमसभा : सोसायटी के समस्त संरक्षक व आजीवन सदस्य आम सभा का गठन करेगे।</p> <p>2. प्रदेश कार्यकारिणी : प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। प्रदेश कार्यकारिणी को कालावधि विस्तार का अधिकार नहीं होगा तथा प्रदेश कार्यकारिणी स्वतः ही भंग मानी जावेगी।</p> <p>प्रदेश कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे : -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>पदनाम</th> <th>पद संख्या</th> <th>निर्वाचन पद्धति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>अध्यक्ष</td> <td>एक</td> <td>प्रत्यक्ष निर्वाचन</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>उपाध्यक्ष</td> <td>ग्यारह</td> <td>नामित</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>सम्भागीय सचिव</td> <td>संभागों की संख्या के अनुरूप</td> <td>नामित</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>प्रवक्ता</td> <td>दो</td> <td>नामित</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>महासचिव</td> <td>एक</td> <td>नामित</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>अतिरिक्त महासचिव</td> <td>दो</td> <td>नामित</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या	निर्वाचन पद्धति	1.	अध्यक्ष	एक	प्रत्यक्ष निर्वाचन	2.	उपाध्यक्ष	ग्यारह	नामित	3.	सम्भागीय सचिव	संभागों की संख्या के अनुरूप	नामित	4.	प्रवक्ता	दो	नामित	5.	महासचिव	एक	नामित	6.	अतिरिक्त महासचिव	दो	नामित
क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या	निर्वाचन पद्धति																											
1.	अध्यक्ष	एक	प्रत्यक्ष निर्वाचन																											
2.	उपाध्यक्ष	ग्यारह	नामित																											
3.	सम्भागीय सचिव	संभागों की संख्या के अनुरूप	नामित																											
4.	प्रवक्ता	दो	नामित																											
5.	महासचिव	एक	नामित																											
6.	अतिरिक्त महासचिव	दो	नामित																											



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण प्रियंका वर्मा
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेंद्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य


बी.एल.नवल
सदस्य


श्री.एस.एम. बोरडिया
सदस्य


डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


7.	कोषाध्यक्ष	एक	नामित
8.	अतिरिक्त कोषाध्यक्ष	दो	नामित
9.	संगठन सचिव	ग्यारह	नामित
10.	सदस्य कार्यकारिणी	ईक्कीस	नामित
11.	समस्त जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।		


स्पष्टीकरण :- अध्यक्ष की कालावधि दो बार से अधिक नहीं होगी।


3. जिला कार्यकारिणी -


क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या	निर्वाचन पद्धति
1.	अध्यक्ष	एक	निर्वाचन से
2.	उपाध्यक्ष	पांच	नामित
3.	प्रवक्ता	एक	नामित
4.	सचिव	एक	नामित
5.	सहायक सचिव	एक	नामित
6.	कोषाध्यक्ष	एक	नामित
7.	सहायक कोषाध्यक्ष	एक	नामित
8.	संयुक्त सचिव	छः	नामित
9.	संगठन सचिव	छः	नामित
10.	सदस्य कार्यकारिणी	ग्यारह	नामित


स्पष्टीकरण :- जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी सम्बन्धित जिले का निवासी होना आवश्यक है।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेंद्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौरडिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 07.6.23
संविधान संशोधन समिति


4. तहसील शाखा – यह शाखा जिला कार्यकारिणी के अधीनस्थ होगी।


क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या	निर्वाचन पद्धति
1.	अध्यक्ष	एक	नामित
2.	उपाध्यक्ष	तीन	नामित
3.	प्रवक्ता	एक	नामित
4.	सचिव	एक	नामित
5.	कोषाध्यक्ष	एक	नामित
6.	संयुक्त सचिव	तीन	नामित
7.	संगठन सचिव	तीन	नामित
8.	सदस्य कार्यकारिणी	छः	नामित



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य


पूरण भट्ट
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौरडिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बोरूपाल
अध्यक्ष
संविधान संशोधन समिति


अध्याय-चतुर्थ
पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार


धारा 10	प्रदेश कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. सोसायटी के गतवर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष की कार्ययोजना को स्वीकृति देना। 2. सोसायटी के गतवर्ष के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन आमसभा में प्रस्तुत करना। 3. सोसायटी की स्थाई निधि व संपत्ति की उचित व्यवस्था करना। 4. आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना। 5. सोसायटी द्वारा जिला शाखाओं के आय-व्यय विवरण को स्वीकृत करना। 6. सोसायटी द्वारा एजेंसी के माध्यम से लिए गए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान करना। 7. सोसायटी द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के अस्थाई कार्मिकों को लेना। 8. सोसायटी की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा अर्जन या अंतरण के लिए आमसभा की पूर्वानुमति आवश्यक हैं। 9. समय-समय पर विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए उपसमितियों/प्रकोष्ठों का गठन करना। 10. प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला शाखा के निर्वाचित पदाधिकारियों के त्याग पत्र स्वीकार करना। 11. सोसायटी के सदस्यों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनहीनता की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर सदस्यता समाप्त करना। 12. प्रदेश कार्यकारिणी स्थाई सलाहकार परिषद से समन्वय स्थापित कर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्धारित समय में नई प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न कराना।
धारा 11	प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष <ol style="list-style-type: none"> i. सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा आमतौर पर प्रदेश कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठको की अध्यक्षता करना। ii. निर्धारित समय में प्रदेश कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक आहूत करेंगे। iii. प्रदेश कार्यकारिणी व आमसभा में पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होगा। iv. निर्धारित समय में प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव एवं विभिन्न समितियों व पदाधिकारियों का मनोनयन करना। v. स्थाई सलाहकार परिषद के निर्देशों की पालना करना।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण भट्ट
सदस्य



मोहन सिंह
सदस्य


महेंद्र आनन्द
सदस्य



शंकर लाल
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष
संविधान संशोधन समिति


- vi. प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव संबंधित कार्य हेतु वित्तीय राशि एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराना।
- vii. समाज के सदस्यों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न आदि घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर समुचित कार्यवाही करना।
- viii. सोसायटी के वित्तीय मामलों के संबंध में पर्यवेक्षण करना।
- ix. संभागीय सचिव एवं जिला शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना।
2. उपाध्यक्ष
- i. अध्यक्ष के त्याग पत्र देने, मृत्यु होने व अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष वरीयता क्रम के अनुसार अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- ii. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरीयता क्रम के अनुसार उपाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी व आमसभा की जैसी भी स्थिति हो अध्यक्षता करेगा।
- iii. अध्यक्ष महत्वपूर्ण विषयों के विषयवार प्रकोष्ठ सृजित कर प्रत्येक उपाध्यक्ष को एक-एक प्रकोष्ठ आवंटित करेंगे। सभी उपाध्यक्ष अध्यक्ष के निर्देश में कार्य करेंगे।
- iv. किसी भी उपाध्यक्ष को बिना प्रकोष्ठ आवंटन के नहीं रखा जावेगा।
3. महासचिव/अतिरिक्त महासचिव
- महासचिव/अतिरिक्त महासचिव अध्यक्ष के निर्देशन में निम्नलिखित कार्य करेंगे :-
- i. सोसायटी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का सुचारु रूप से संचालन करेंगे।
- ii. प्रदेश कार्यकारिणी और आमसभा की बैठकों की कार्यवाही विवरण तैयार करना और उन्हें कार्यवाही रजिस्टर में सम्मिलित करना।
- iii. प्रदेश कार्यकारिणी एवं आमसभा की कार्यवाही विवरण का आगामी बैठक में पुष्टी करवाना।
- iv. सोसायटी के संबंध में समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
- v. सोसायटी के समस्त अभिलेखों का समुचित रूप से रख रखाव करना।
- vi. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्देशों को क्रियान्वयन करना।
- vii. वित्त वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय का लेखा-जोखा एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह बेरी
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य



शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौराड़िया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारुपाल
अध्यक्ष 7-6-23
संविधान संशोधन समिति


		<p>viii. वित्त वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट एवं कार्ययोजना तैयार कर प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।</p> <p>ix. प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन करना।</p> <p>4. कोषाध्यक्ष/अतिरिक्त कोषाध्यक्ष</p> <p>i. सदस्यता शुल्क, चंदा, दान या सोसायटी को देय अन्य राशि प्राप्त करना और सोसायटी से अनुमोदित बैंको में जमा कराना।</p> <p>ii. सोसायटी में प्राप्त समस्त राशि की रसीद जारी करना।</p> <p>iii. स्वीकृत राशि का भुगतान करना।</p> <p>iv. सोसायटी का पूरा वित्तीय लेखा-जोखा रखना एवं लेखों को प्रदेश कार्यकारिणी को जाँच के लिए प्रस्तुत करना।</p> <p>v. बकाया की वसूली हेतु नोटिस जारी करना।</p> <p>vi. आंतरिक अंकेषक से प्रतिवर्ष सोसायटी के लेखों की जाँच करवाना और अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।</p> <p>5. पदच्युति :-</p> <p>i. प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी व तहसील शाखा के पदाधिकारीगण के विरुद्ध सोसायटी के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने पर परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पदच्युत किया जा सकेगा।</p>
धारा 12	जिला कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य	<p>1. जिला स्तरीय सोसायटी के गतवर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन एवं आगामी वर्ष की कार्य योजना को स्वीकृति देना।</p> <p>2. जिला स्तरीय सोसायटी की स्थाई निधि व संपत्ति की उचित व्यवस्था करना।</p> <p>3. जिला स्तरीय सोसायटी की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय या अन्यथा अर्जन या अंतरण के लिए आमसभा की पूर्वानुमति आवश्यक है।</p> <p>4. समय-समय पर विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए उपसमितियों/प्रकोष्ठों का गठन करना।</p>
धारा 13	जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार	<p>अध्यक्ष</p> <p>i. जिला स्तरीय सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा आमतौर पर जिला कार्यकारिणी की बैठको की अध्यक्षता करना।</p> <p>ii. जिला स्तरीय कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होगा।</p> <p>iii. परिषद के निर्देशों की पालना करना।</p>



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण भट्ट
सदस्य



मोहन कुमार
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य



शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीम. चौरडिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द्र बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


		<p>iv. समाज के सदस्यों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न आदि घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर समुचित कार्यवाही करना।</p> <p>v. सोसायटी के वित्तीय मामलों के संबंध में पर्यवेक्षण करना।</p> <p>उपाध्यक्ष</p> <p>i. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरीयता क्रम के अनुसार उपाध्यक्ष जिला स्तरीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता करेगा।</p> <p>ii. अध्यक्ष महत्वपूर्ण विषयों के विषयवार प्रकोष्ठ सृजित कर प्रत्येक उपाध्यक्ष को एक-एक प्रकोष्ठ आवंटित करेंगे। सभी उपाध्यक्ष अध्यक्ष के निर्देश में कार्य करेंगे।</p> <p>iii. किसी भी उपाध्यक्ष को बिना प्रकोष्ठ आवंटन के नहीं रखा जावेगा।</p> <p>महासचिव/अतिरिक्त महासचिव</p> <p>महासचिव/अतिरिक्त महासचिव अध्यक्ष के निर्देशन में निम्नलिखित कार्य करेंगे :-</p> <p>i. जिला स्तरीय सोसायटी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का सुचारु रूप से संचालन करेंगे।</p> <p>ii. जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाही विवरण तैयार करना और उन्हें कार्यवाही पंजिका में सम्मिलित करना।</p> <p>iii. जिला स्तरीय कार्यकारिणी की कार्यवाही विवरण का आगामी बैठक में पुष्टि करवाना।</p> <p>iv. जिला स्तरीय सोसायटी के संबंध में समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना।</p> <p>v. जिला स्तरीय सोसायटी के समस्त अभिलेखों का समुचित रूप से रख रखाव करना।</p> <p>vi. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्देशों को क्रियान्वयन करना।</p> <p>vii. वित्त वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय का लेखा-जोखा एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।</p> <p>viii. वित्त वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्ण आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट एवं कार्य योजना तैयार कर जिला कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना।</p> <p>ix. जिला कार्यकारिणी द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन करना।</p> <p>कोषाध्यक्ष/अतिरिक्त कोषाध्यक्ष</p> <p>i. स्वीकृत राशि का भुगतान करना।</p> <p>ii. जिला स्तरीय सोसायटी का पूरा वित्तीय लेखा-जोखा रखना एवं लेखों को जिला कार्यकारिणी को जाच के लिए प्रस्तुत करना।</p>
--	--	---


जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह वर्मा
सदस्य



मोहन कुमार
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल
सदस्य



वी.एल.नवल
सदस्य



श्रीसिम घोसड़िया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारुपाल
अध्यक्ष 7.6.22
संविधान संशोधन समिति


अध्याय-पंचम वित्त एवं लेखा


धारा 14	वित्त, लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण	<p>डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर के वित्त एवं लेखा प्रबंधन की द्विस्तरीय व्यवस्था होगी। समस्त राशिया प्रथमतः सोसायटी के बैंक खाते में जमा होंगी एवं तत्पश्चात् निर्धारित सीमा के अध्यक्षीन जिला सोसायटी की शाखाओं में हस्तांतरित की जायेगी।</p> <p>(अ) कोष प्राप्ति के स्रोत : -</p> <ul style="list-style-type: none"> • सदस्यता शुल्क • दान • केंद्र , राजस्थान सरकार / अन्य राज्य सरकारों से अनुदान • किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, निगम, उपक्रम अथवा निकाय आदि से आर्थिक सहायता। <p>(ब) लेखा/कोष संधारण : -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सोसायटी का बचत खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित बैंक में संधारित किया जायेगा। यदि प्रदेश कार्यकारिणी आवश्यक एवं उचित समझे तो एक से अधिक बचत खाते भी संधारित किये जा सकेंगे। 2. जिला स्तर पर सोसायटी की स्थानीय शाखाओं का किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित बैंक में बचत खाता खोला जायेगा। 3. राजस्थान अथवा राजस्थान के बाहर से उपरोक्त बिंदु संख्या (अ) में वर्णित किसी भी स्रोत से प्राप्त राशि को प्रथमतः सोसायटी के जयपुर स्थित बचत बैंक खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। 4. जिला स्तरीय शाखा से एकत्रित राशि जो कि राज्य स्तरीय खाते में जमा हुई हो, का पचास प्रतिशत भाग जिला स्तर की शाखा को जमा की तिथि से पन्द्रह दिवस की अवधि में उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। 5. सोसायटी को इम्प्रेस्ट मनी के रूप में राशि दस हजार रुपये एवं जिला स्तरीय शाखाओं को पांच हजार रुपये अनुमत होंगे, जिससे फुटकर व्यय किये जा सकेंगे। इम्प्रेस्ट की राशि बचत बैंक खाते से संयुक्त हस्ताक्षर से <u>सेल्फ चैक</u> के जरिये आहरित की जायेगी। इससे अधिक के समस्त भुगतान रेखांकित चैक के माध्यम से किये जायेंगे। आहरित इम्प्रेस्ट राशि का पुनर्भरण प्रतिमाह किया जाना अनिवार्य होगा। 6. बैंक से राशि का आहरण, भुगतान अथवा हस्तांतरण अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष (जिला शाखा में जैसी भी स्थिति हो) में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी चैक द्वारा किया जायेगा।
---------	------------------------------------	--



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह बघेल
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य



शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चोसडिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


7. जिला शाखा को प्रतिमाह प्राप्ति तथा भुगतान का विवरण एवं केश बुक के संबंधित माह के पृष्ठ की छायाप्रति सोसायटी को आगामी माह की दस तारीख तक हार्ड कॉपी डाक द्वारा अथवा पीडीएफ फाईल के रूप में सोसायटी की ई-मेल पर ऑनलाईन प्रेषित करना होगा।
8. उपरोक्त बिंदु संख्या-(अ) में उल्लेखित स्रोतों से राशि एक हजार रुपये से अधिक राशि डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, जयपुर के नाम रेखांकित बैंक के माध्यम से अथवा सोसायटी के बचत बैंक खाते में ऑनलाईन हस्तांतरण के माध्यम से ली जायेगी। प्रति व्यक्ति/संस्था/सरकार आदि से राशि एक हजार रुपये तक राशि नकद में ली जा सकेगी जिसकी कि प्राप्ति रसीद दी जायेगी। प्राप्ति रसीद बुक सोसायटी द्वारा मुद्रित करवाकर उपलब्ध कराई जायेगी जिसका पूर्ण लेखा जोखा रखा जायेगा। ऑनलाईन हस्तांतरण के मामले में UTR (Unique Transaction Reference Number) का उल्लेख अनिवार्यतः किया जाना होगा ताकि राशि जमा का सोसायटी के बचत बैंक खाते में मिलान किया जा सके।
9. सोसायटी के बचत बैंक खाते में राशि पांच लाख रूपय एवं जिला स्तर पर सोसायटी के बचत बैंक खाते में राशि दो लाख पचास हजार रूपये का बैलेंस रखा जा सकेगा। इससे अधिक राशि खाते में उपलब्ध होने की दशा में आधिक्य राशि को किसी राष्ट्रीयकृत, अधिसूचित बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में सावधि जमाओं (जो कि कॉलेबल होगी) में विनियोजित किया जायेगा। ऐसा विनियोजन सोसायटी के नाम में किया जायेगा न कि सोसायटी के किसी पदाधिकारी के नाम में। यदि कोई पदाधिकारी सोसायटी की धनराशि का स्वयं के नाम में विनियोजन करता है तो उसका यह कृत्य गबन माना जायेगा तथा संबंधित कानून के तहत कार्यवाही के अलावा उसकी पदच्युती का आधार भी होगा।
10. राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर सोसायटी को प्राप्तियों एवं व्ययों को अभिलेखबद्ध रखने हेतु रोकड़ बही का संधारण करना होगा। रोकड़ बही के संधारण का दायित्व संबंधित कोषाध्यक्ष का होगा। रोकड़ बही में प्रत्येक प्राप्ति व्यय व्यवहार को अनिवार्य दर्ज किया जायेगा। रोकड़ बही में दर्ज प्रत्येक व्यय के प्रमाण/समर्थन में वाउचर का होना अनिवार्य होगा। माह की समाप्ति के बाद आगामी माह की दस तारीख तक पिछले माह की समस्त प्रविष्टियों का सत्यापन संबंधित महासचिव/सहायक सचिव द्वारा किया जायेगा। सत्यापन की पुष्टि में महासचिव/सहायक सचिव द्वारा प्रत्येक व्यय प्रविष्टि के सामने आद्याक्षर (initial) किये जायेंगे। वाउचर्स को समुचित सुरक्षा/संरक्षा में संधारित किया जायेगा जिन्हें आंतरिक अथवा संवैधानिक अंकेक्षण, जैसी भी स्थिति हो, के समय अंकेक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह वर्मा
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य 7/6/23


महेंद्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य


बी.एल.नवल
सदस्य


श्रीराम चौरडिया
सदस्य


डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष
संविधान संशोधन समिति

7.6.23

(स) वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन:-

किसी एक अवसर अथवा एक आयोजन पर निम्नांकित सीमाओं के अध्यक्षीन वित्तीय शक्तियों को प्रयुक्त किया जायेगा :-


1. सोसायटी के अध्यक्ष को एक बार में राशि एक लाख रुपये तक व्यय हेतु स्वीकृति की शक्ति होगी।
2. इससे अधिक राशि स्वीकृति प्रदेश कार्यकारिणी की संस्तुति के बाद अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जायेगी।
3. जिला स्तरीय अध्यक्ष को एक बार में राशि दस हजार रुपये तक व्यय बाबत राशि स्वीकृति की शक्ति होगी।
4. जिला स्तर पर राशि दस हजार रुपये से अधिक, किन्तु पचास हजार रुपये तक व्यय हेतु स्वीकृति जिला स्तरीय कार्यकारिणी की संस्तुति के बाद जिला स्तरीय अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जायेगी।
5. जिला स्तर पर राशि पचास हजार रुपये से अधिक के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदेश कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त दी जा सकेगी।
6. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपर्युक्त वर्णित प्रत्यायोजित शक्तियाँ उपाध्यक्ष (वरियता क्रम में वरिष्ठ हो) द्वारा प्रयोग में लाई जा सकेगी।
7. सोसायटी की कार्यकारिणी द्वारा वित्तीय शक्तियों की सीमाओं में परिवर्तन वार्षिक आम सभा के अनुमोदन से किया जा सकेगा।


(द) निषिद्ध व्यय:-


1. प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी द्वारा आम सभा की पूर्वानुमति के बिना किसी भी स्थावर संपत्ति यथा भूमि, भवन, वाहन आदि में संस्था की धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
2. किसी कंपनी, निगम आदि के शेयर्स या डिबेंचर्स में विनियोजन नहीं किया जायेगा।
3. सोसायटी अपने किसी भी सदस्य अथवा बाहरी व्यक्ति को संस्था की धनराशि उधार, ऋण आदि के रूप में नहीं दिया जायेगा।
4. उक्त के अलावा सोसायटी द्वारा अन्य निषिद्ध की गई मदों पर व्यय नहीं किया जायेगा।


(य) वित्तीय वर्ष :-


सोसायटी एवं इससे संबंधित जिला स्तरीय शाखाओं के लिये वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से इक्कीस मार्च तक की अवधि होगा।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण-~~विश्व~~ वर्मा
सदस्य



मोहन लाल-~~वर्मा~~
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य


श्रीराम चोड़िया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


(र) आंतरिक अंकेक्षण :-


1. सोसायटी एवं जिला स्तरीय सोसायटी के प्रति वित्तीय वर्ष में नियमित अंकेक्षण की व्यवस्था आवश्यक रूप से अपनाई जायेगी। इसके लिये सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के साथ विचार विमर्श उपरान्त एक मुख्य आंतरिक अंकेक्षक को मनोनीत किया जायेगा।
2. मुख्य आंतरिक अंकेक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार उप आंतरिक अंकेक्षकों का चयन सोसायटी के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जायेगा।
3. मुख्य आंतरिक अंकेक्षक द्वारा चयनित उप आंतरिक अंकेक्षकों में कार्य विभाजन किया जायेगा।
4. उप आंतरिक अंकेक्षक अपने-अपने कार्य विभाजन अनुसार आवंटित जिला स्तरीय सोसायटी का वर्ष में एक बार आंतरिक अंकेक्षण करेंगे। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक द्वारा व्यय वाउचर्स की शत प्रतिशत जांच की जायेगी। अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण रिपोर्ट मुख्य आंतरिक अंकेक्षक को सौंपी जायेगी।
5. अंकेक्षण रिपोर्ट में किसी गलती, गबन, अपव्यय, अनाधिकृत व्यय आदि उजागर होने पर मुख्य आंतरिक अंकेक्षक द्वारा शीघ्रातिशीघ्र उपचारात्मक कदम उठाने बाबत कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जायेंगे।
6. मुख्य आंतरिक अंकेक्षक द्वारा उप आंतरिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट्स को इकजाई करते हुये एक एकीकृत रिपोर्ट तैयार की जाकर सोसायटी के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी। प्रदेश कार्यकारिणी के अनुमोदन के बाद एकीकृत रिपोर्ट को सोसायटी की वार्षिक आम सभा में रखा जायेगा। वार्षिक आम सभा में अंकेक्षण रिपोर्ट में उजागर हुई त्रुटियों, अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सकेंगे।
7. सोसायटी अथवा जिला स्तरीय सोसायटी में किसी गंभीर अनियमितता के दृष्टिगत होने अथवा अनियमितता/दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में मुख्य आंतरिक अंकेक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण को सोसायटी अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जायेगा तथा विशेष जांच कराई जायेगी।
8. आपात स्थिति उत्पन्न होने पर स्थाई सलाहकार परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संयोजक को समस्त वित्तीय शक्तिया प्राप्त होगी।
9. स्थाई सलाहकार परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संयोजक के हस्ताक्षर के नमूने संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित किये जावेंगे।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव


वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण सिंह वेरी
सदस्य



मोहन लाल
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम कोरडिया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


अध्याय-षष्ठम्
निर्वाचन


धारा 15	निर्वाचन	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली से होगा। 2. सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा। 3. प्रदेश कार्यकारिणी में केवल अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगा एवं शेष पदों पर अध्यक्ष द्वारा परिषद के परामर्श से मनोनयन किया जावेगा। 4. प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के अनुरूप होंगे तथा उसी अनुरूप से आचार संहिता लागू होगी। 5. प्रदेश कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्ति से छः माह पूर्व चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। 6. सोसायटी के सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन प्रदेश कार्यकारिणी की कालावधि समाप्ति के तीन माह पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा। 7. जिला कार्यकारिणी का चुनाव प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही उसी अनुरूप में होंगे एवं कार्यकाल प्रदेश कार्यकारिणी के समान होगा। कालावधि विस्तार का आमसभा, परिषद व प्रदेश कार्यकारिणी को अधिकार नहीं होगा।
धारा 16	आदर्श आचार संहिता	विधानसभा चुनाव के अनुरूप ही आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे।



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण ~~सदस्य~~
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य



बी.एल.नवल
सदस्य



श्रीराम चौरड़िया
सदस्य



डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति

**अध्याय-सप्तमम्
प्रकीर्ण**


धारा 17	त्यागपत्र	<p>1. परिषद परिषद अध्यक्ष :- परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र परिषद के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। परिषद के पदाधिकारीगण :- परिषद के अन्य पदाधिकारीगण एवं परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>2. प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष :- प्रदेश अध्यक्ष अपना त्यागपत्र परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के शेष पदाधिकारीगण सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>3. जिला कार्यकारिणी एवं तहसील शाखा जिला कार्यकारिणी एवं तहसील शाखा के समस्त पदाधिकारीगण अपने त्यागपत्र सोसायटी प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>स्पष्टीकरण :- जिस पदाधिकारी को त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया वो ही त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगा।</p>
धारा 18	नियम बनाने की शक्तियाँ	प्रदेश कार्यकारिणी संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिषद के परामर्श से नियम बना सकेगी, जिन्हें आमसभा एवं पंजियक सहकारिता संस्था से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।
धारा 19	संविधान संशोधन	<p>1. सोसायटी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पारित किया जावेगा।</p> <p>2. प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पारित संविधान संशोधन को आमसभा में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>3. आमसभा द्वारा पारित संशोधित प्रस्ताव को पंजियक सहकारी संस्थाओं के द्वारा स्वीकृति उपरान्त लागू होगा।</p>
धारा 20	समितियाँ	<p>प्रदेश कार्यकारिणी परिषद के परामर्श से सोसायटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी :-</p> <p>1. उत्पीड़न एवं अत्याचार निवारण समिति।</p> <p>2. छात्रावास समिति।</p>



जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य


पूरण चंद्र वर्मा
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेन्द्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य


वी.एल.नवल
सदस्य


श्रीराम चोडिया
सदस्य


डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति

		<p>3. निर्माण समिति। 4. विधिक समिति। 5. अनुशासनात्मक समिति। प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम दो सदस्य परिषद में से नियुक्त किये जावें।</p>
धारा 21	अन्य संस्थाओं से सम्बन्धता	प्रदेश स्तर पर इस संस्था के उद्देश्यों से सहमती रखने वाली समान विचारधारा की अनुसूचित जाति वर्ग की संस्थाओं को प्रदेश कार्यकारिणी सम्बन्धता प्रदान कर सकेगी। सम्बन्धता शुल्क पांच हजार रुपये होगा।
धारा 22	पंजीकाएँ	<p>सोसायटी द्वारा निम्न पंजिकाओं का संधारण किया जावेगा :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त सदस्यों के नाम, पते (मोबाइल नम्बर, ईमेल एड्रेस, व्यवसाय आदि दिखाते हुए पंजिका)। 2. रोकड़ बही व खाता बही। 3. आमसभा/प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यवाही विवरण का रजिस्टर। 4. स्टॉक पंजिका। 5. रसीद पुस्तकों का हिसाब रखने के लिए एक पंजिका। 6. अन्य आवश्यक पंजिकाएँ। 7. विषयवार पत्रावलीयां।
धारा 23	सोसायटी का पंजीकरण	सोसायटी का पंजीकरण राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 के समय-समय पर संशोधित समस्त नियम इस सोसायटी पर लागू होंगे।
धारा 24	सोसायटी का विघटन	<ol style="list-style-type: none"> i. सोसायटी की आमसभा की असाधारण बैठक में कुल सदस्यों की तीन-चौथाई बहुमत के बिना सोसायटी का विघटन नहीं होगा। ii. सोसायटी के विघटन होने पर सोसायटी की समस्त सम्पतियों में जिसकी लेनदारिया व देनदारिया सम्मिलित होगी को राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसायटी के संविधान के अनुसार परिचलन एवं निर्धारित करने के लिए कदम उठाये जावेंगे।
धारा 25	सोसायटी की पहचान	प्रदेश कार्यकारिणी सोसायटी की पहचान के लिये मोनो, लोगो, झण्डा व पहचान-पत्र आदि के सम्बन्ध में नियम बना सकेंगे।

जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव

वी.सी. बुनकर
सदस्य

पूरण ~~सिंह~~
सदस्य

मोहन लाल वर्मा
सदस्य

महेंद्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य


बी.एल.नवल
सदस्य


श्रीराम चौरडिया
सदस्य


डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति


धारा 26	विधिक विवाद	सोसायटी से सम्बन्धित विधिक विवाद उत्पन्न होने पर परिषद द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जायेगा। विवाद का निर्णय आर्बिट्रेटर द्वारा किया जायेगा। कोई भी विवाद आर्बिट्रेटर के समक्ष रेफरेन्स किये बिना सिविल न्यायालय में नहीं जा सकता।
धारा 27	व्यावृत्तियां	1. सोसायटी द्वारा संशोधित संविधान प्रभावी होने से पूर्व किये कार्य संविधान के अन्तर्गत किये गये माने जावेंगे। 2. वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी निर्धारित अवधि तक यथावत् कार्य करती रहेगी। 3. संशोधित संविधान के शेष प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
धारा 28	अविश्वास प्रस्ताव	प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी एवं तहसील शाखा के पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर प्रदेश कार्यकारिणी के कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव प्रारित होने पर उन्हें पदच्युत किया जायेगा।


जी.एल. वर्मा
सदस्य सचिव



वी.सी. बुनकर
सदस्य



पूरण ~~सिंह~~ बहरी
सदस्य



मोहन लाल वर्मा
सदस्य


महेंद्र आनन्द
सदस्य


शंकर लाल मेहरानिया
सदस्य


बी.एल.नवल
सदस्य


श्रीराम चौरड़िया
सदस्य


डॉ. उदयचन्द बारूपाल
अध्यक्ष 7.6.23
संविधान संशोधन समिति